अधिवक्तागण उपस्थित. वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 1 नवम्बर, 2017 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में चक 3 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 1 से 10, किला नम्बर 13 से 15 कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि में आने जाने हेतु मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 21 से 25 में 1–1 गढ्ढा रास्ता, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1978 को सहायक जिलाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा मन्जूर किया गया था, के रास्ते में प्रतिवादीगण कोई व्यवधान उत्पन्न न करने बाबत वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 एवं 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. जिसके सलंग्न आवेदनपत्र अन्तर्गत धार 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में आवेदक के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया है. वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा वादिया द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र दिनांक 12 जनवरी, 2015 को अपने मुख्तयार आम श्री प्रवीण मुंजाल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है. वादिया द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 10 जून, 2015 प्रस्तुत किया गया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में फर्जकारी कर वादिया द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में फेरबदल किया गया है जिसमें माननीय न्यायपालय द्वारा विस्तृत जांच कर सम्बन्धित पुलिस थाना को प्रेषित किया जा चुका है. वादिया को ज्ञात हुआ है कि उक्त वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के निधन हुऐ काफी समय हो चुका है तथा वादिया अब उक्त शीर्षक के वादपत्र को माननीय न्यायालय के आदेश से प्रत्याहरित कर नये सिर से better particulars सहित नया वादपत्र प्रस्तुत करना चाहती है. इस प्रकार वादिया द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन वादपत्र प्रत्याहरण स्वीकार कर नये सिरे से better particulars के साथ नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु निवेदन किया गया.

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 3 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार मा. सहायक जिलाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 दिसम्बर, 1978 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील विचाराधीन है क्योंकि रास्ता एकपक्षीय एवं श्री सुगनसिंह को बिना सुना पारित किया गया था और श्री सुगनसिंह की मृत्यु हो चुकी है. वादपत्र में जवाब वादपत्र एवं वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की जा चुकी है इसलिये नया वाद लाने की इजाजत नहीं दी जा सकती एवं न ही नये दावे अच्छे विवरण सहित पेश किये जा सकते हैं. वादिया अपने वादपत्र में जो कमियां रह गयी है, उनको पूरा करने की नीयत से नया दावा पेश करना चाहती है इसलिये प्रस्तुत आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है. अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किया गया कि वादिया द्वारा अपने वादपत्र में रही कमियों को पूरा करने की नीयत से नया वादपत्र प्रस्तुत करना चाहती है इसलिये विचाराधीन आवेदनपत्र पोषणीय नहीं है. श्री सुगनसिंह की मृत्यु हो चुकी है इसलिये उक्त वाद अबेट हो चुका है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

पत्रावली में प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 10 जून, 2015 के अनुसार वादपत्र एवं विविध आवेदनपत्र पत्रावलियों में विभिन्न मूल अभिलेख परिवर्तित हैं वर्तमान वादपत्र पर हस्ताक्षर स्केनिंग किये हुऐ

बड़ा के मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 1 से 10, किला नम्बर 13 से 15 कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि में आने जाने हेतु मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 21 से 25 में 1–1 गढ्ढा रास्ता, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1978 को सहायक जिलाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा मन्जूर किया गया था, के रास्ते में प्रतिवादीगण कोई व्यवधान उत्पन्न न करने बाबत वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 एवं 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. जिसके सलंग्न आवेदनपत्र अन्तर्गत धार 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में आवेदक के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया है. वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा वादिया द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र दिनांक 12 जनवरी, 2015 को अपने मुख्तायार आम श्री प्रवीण मुंजाल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है. वादिया द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 10 जून, 2015 प्रस्तुत किया गया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में फर्जकारी कर वादिया द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में फेरबदल किया गया है जिसमें माननीय न्यायपालय द्वारा विस्तृत जांच कर सम्बन्धित पुलिस थाना को प्रेषित किया जा चुका है. वादिया को ज्ञात हुआ है कि उक्त वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के निधन हुऐ काफी समय हो चुका है तथा वादिया अब उक्त शीर्षक के वादपत्र को माननीय न्यायालय के आदेश से प्रत्याहरित कर नये सिर से better particulars सहित नया वादपत्र प्रस्तुत करना चाहती है. इस प्रकार वादिया द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन वादपत्र प्रत्याहरण स्वीकार कर नये सिरे से better particulars के साथ नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु निवेदन किया गया.

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 3 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार मा. सहायक जिलाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 दिसम्बर, 1978 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील विचाराधीन है क्योंकि रास्ता एकपक्षीय एवं श्री सुगनसिंह को बिना सुना पारित किया गया था और श्री सुगनसिंह की मृत्यु हो चुकी है. वादपत्र में जवाब वादपत्र एवं वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की जा चुकी है इसलिये नया वाद लाने की इजाजत नहीं दी जा सकती एवं न ही नये दावे *अच्छे विवरण सहित पेश किये जा सकते हैं. वादिया अपने वादपत्र में* जो कमियां रह गयी है, उनको पूरा करने की नीयत से नया दावा पेश करना चाहती है इसलिये प्रस्तुत आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है. अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किया गया कि वादिया द्वारा अपने वादपत्र में रही कमियों को पूरा करने की नीयत से नया वादपत्र प्रस्तुत करना चाहती है इसलिये विचाराधीन आवेदनपत्र पोषणीय नहीं है. श्री सुगनसिंह की मृत्यु हो चुकी है इसलिये उक्त वाद अबेट हो चुका है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

पत्रावली में प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 10 जून, 2015 के अनुसार वादपत्र एवं विविध आवेदनपत्र पत्रावलियों में विभिन्न मूल अभिलेख परिवर्तित हैं वर्तमान वादपत्र पर हस्ताक्षर स्केनिंग किये हुऐ हैं. के परिदृश्य न्यायालय द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली, श्रीगंगानगर को प्रेषित पत्रांक 2488 दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के आधार पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली, श्रीगंगानगर द्वारा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

गुमशुदगी पंजिका के कम संख्या 09 दिनांक 18 फरवरी, 2017 को गुमशुदगी दर्ज की गयी है. तदोपरान्त, आदेश दिनांक 18 अगस्त, 2015 द्वारा पत्रावालियों के पुर्ननिर्माण की पालना में वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पुर्ननिर्माण की श्रृंखला में मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. तथा प्रकरण दिनांक 18 अगस्त, 2015 से लम्बित चला आ रहा है. इसके अतिरिक्त, इसी समयावधि में प्रतिवादी संख्या 1 श्री सुगनसिंह की मृत्यु हो चुकी है. जिसका उल्लेख वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने अपने आवेदनपत्र में किया गया है, किन्तु किसी भी पक्षकार द्वारा श्री सुगनसिंह की मृत्यु की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है व न ही श्री सुगनसिंह की मृत्यु के समर्थन में किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है जिससे मृत्यु के बाद की अवधि की गणना की जा सके. जिसके परिणामताः वादी द्वारा वाद को better particulars के साथ पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति सहित वादपत्र के प्रत्याहरण की अनुमति चाही गयी है. विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार वादी द्वारा वाद का प्रत्याहरण किसी भी स्तर किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में, आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र का प्रत्याहरण स्वीकार किया जाता है तथा better particulars सहित नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है.

अतः वादिया द्वारा वादपत्र प्रत्याहरित करने के परिणामताः नस्तीबद्व की जाती है. पत्रावली दायरा पंजिका के कम से कम होकर निर्णय की सूचि में शामिल हो.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर